

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 42/2022

सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

मिश्री खां जाति लुहार निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर जरिये वारिसान :-

1. श्री सफी पुत्र मिश्री खां निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर
2. श्री सेठी पुत्र मिश्री खां निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर
3. श्रीमती शायरी पुत्र मिश्री खां निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर
4. श्रीमती विमला पुत्री मिश्री खां निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर
5. श्रीमती शबाना पुत्री मिश्री खां निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :-

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, | राजकीय अभिभाषक |
| 2. अप्रार्थीगण | अनुपस्थित |

:- आदेश :-

दिनांक- 07.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक 23 दिनांक 22.12.1995 को ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 471 मिन रकबा 07 बीस्वा किस्म बा0 2 (वर्तमान खसरा नम्बर 430/2767 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2) भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तों के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू-अभिलेख निरीक्षक नान्द की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तों के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर वर्तमान खाता संख्या 586 खसरा नम्बर 430/2767 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2 में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक्र दर्ज करने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।



192
जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस बाद तामील अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक 23 दिनांक 22.12.1995 को ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 471 मिन रकबा 07 बीस्वा किस्म बा 0 2 (वर्तमान खसरा नम्बर 430/2767 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2) भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तों के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू-अभिलेख निरीक्षक नान्द की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी/अप्रार्थी ने आवंटन की शर्तों के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में आवंटी/अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर वर्तमान खाता संख्या 586 खसरा नम्बर 430/2767 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चाही 2 में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक्र दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की है। प्रार्थीगण को पूर्वजो को सरकार द्वारा आवंटन की गई थी जो आज भी शेष वारिसान के पास कब्जा काश्त की चली आ रही है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी भूमि आवंटन वर्ष 1995 से आज तक प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू-भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8-10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर की जमाबन्दी सं. 2076 के अनुसार नियमित भूमि आवंटी के नाम दर्ज है। राज. भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार "अतिचारियों को भूमि का आवंटन" के उप नियम 1 के अनुसार भू. संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में आवंटन/नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में आवंटन/नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार "आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो" के तहत आवंटी द्वारा उनके हक में नियमित भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं की जाने से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 430/2767 रकबा 0.0600 हैक्टर किस्म चाही 2 भूमि



15/12
जिला कलक्टर
अजमेर

का अप्रार्थीगण के पिता के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को सरे जजलास सुनाया गया।




(लोक बन्धु)

जिला कलेक्टर, अजमेर